प्रार्थनापत्र कार्यवाही निषेधाज्ञा

ख अहकाम हुक्म की जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज 69/2025 धूवालाल v/s अमर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। प्रा0 पत्र टी0 आई0 पर बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 09.06.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
.025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रा0 पत्र टी0 आई0 पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र टी. आई. से संबंधित मूल वादपत्र विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का हैं। मूल वादपत्र में निर्णय पारित होने के उपरान्त माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय सीकर द्वारा अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2023 स्वीकार की जाकर निर्णय अपास्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के लिए आदेशित किया जाने पर प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में टी0आई0 पेश कर स्टे आदेश लिया गया हैं ताकि तकास्मा होने तक वादग्रस्त आराजी की मूल सूरत में कोई बदलाव ना हो। पक्षकारान के हक–अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। अतः तादौराने फैसल वाद उभय पक्षकारान वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 2963/111, 2965/110, 112, 2962/111, 2964/110 (पुराना ख0नं0 110 ता 112) तन ग्राम कस्बा नीमकाथाना प0ह0 नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना में कोई निर्माण नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2025.07.11 13:16:14 IST Reason: SelfAttested (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	